

प्रेषक,
मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
30प्र0 लखनऊ।

कार्यालय-मुकुलसिंहल
जायसे सराया 569
दिनांक 23.10.15

✓ व. ल. सु. श. शं. / नि. मं.
जा. प्र. जादी

20.10.15
म. का. श.

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर छूट योजना हेतु आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-2571-75/खा0ग्रो0बो0/खादी/2015-16, दिनांक 07-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में कार्यरत खादी आयोग/बोर्ड में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री पर दी गयी छूट के दावों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के साथ आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि एक मुश्त न आहरित कर तत्कालिक आवश्यकतानुसार ही आहरण की जायेगी और व्यय करते समय भुगतान करने वाले अधिकारी वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दी गयी शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि हेतु प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाली धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्थाओं की सूची सहित, प्राप्त होने के पश्चात ही योजना की दूसरी किश्त शासन द्वारा जारी की जायेगी।

मौ. 30 (नि. मं.)

23-10-15
व. ल. सु. श. शं. / नि. मं.

602
23-10-15

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-04-गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट-27-सब्सिडी के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव

संख्या-40/2015/772
(1)/59-2-2015-68(खा)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 8- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फ्लोर छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
- 9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
20/03/15
(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव

①

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।